संख्या-386/18-4-2023-11(बजट)/10

प्रेषक,

दयाराम यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,
लखनऊ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 02मई,2023**

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-3 के अंतर्गत "निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना" योजनानान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो लखनऊ के पत्र संख्या-36/4-लेखा-23-24/बजट/2023-24, दिनांक 24-04-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना योजना" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 49.70 लाख (रू0 उनचास लाख लाख सत्तर हजार) मात्र के सापेक्ष प्रथम 06 माहों हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 24.85 लाख (रूपये चौबीस लाख पचासी हजार) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए मदवार निम्नानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

लघु शीर्षक	मद का नाम	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्राविधान	प्रथम 06 माहों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि
02-	मजदूरी	10-50	5-25
04-	यात्रा व्यय	0-50	0-25
07-	मानदेय	0-50	0-25
08-	कार्यालय व्यय	2-00	1-00
09-	विद्युत देय	12-00	6-00
11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3-00	1-50
12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2-00	1-00
13-	टेलीफोन पर व्यय	0-50	0-25
15-	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5-00	2-50
29-	अनुरक्षण	1-00	0-50
46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1-20	0-60
47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1-50	0-75
58-	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु	10-00	5-00
	योग	49-70	24-85

(रू0 चौबीस लाख पचासी हजार) मात्र)

2-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मद में ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

3-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो लखनऊ को उनकी मांग पर उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4-उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है।

5-योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

6-उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

7-व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टेण्डर्डस ऑफ फाईन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

8-स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

9-प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

10-प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 प्रयागराज लखनऊ/ **तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।**

11-उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-07-निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना" (लेखाशीर्षक 15 डिजिट में 2851-00-800-00-07-00) के नामे डाला जायेगा।

12-यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
दयाराम यादव,
अनु सचिव।

संख्या-386(1)/18-4-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराजलखनऊ/ ।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराजलखनऊ/ ।

3- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।

4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर/लखनऊ ।

7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/ सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3

8-संयुक्त् सचिव, (श्री अनमोल सिंह)सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यातम प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।

9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दयाराम यादव,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in